

13/3/18

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. द्वारा
अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली
दिनांक 17/5/18 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

17/5/18

पत्रावली - पेश हुई। पत्रावली - 17/5/18
राजस्व लोक अदालत के रूप में पत्रावली
के दिनांक 18/6/18 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

18/6/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत के रूप में
वादीगण संख्या - 1 व 2 उपस्थित व
प्रतिवादीगण संख्या - 1 समुदायी उपस्थित
प्रतिवादीगण संख्या - 3 सरपंच उग्रद पंचायत
अनावा जागीर उपस्थित 1 प्रतिवादीगण
संख्या - 4 सरकारी पेशवा उपस्थित।

वादीगण ने अपने दावे पत्र में
साक्षित रूप से जाहिर किया कि वादीगण
व प्रतिवादीगण संख्या - 1 व 2 के सम्बन्धी
संपुक्ता सवर्ण कारत की कृषि भूमि
संख्या 96/3 (नई जमाबंदी) से 6/10/96
संख्या 37 बीघा 07 धिल्ला निस्सवा
सोयम सरहद मौजा नया गांव
अनावा जागीर पश्वार प्रोड्यूस अनावा
के धारि हुई है। वादीगण व
प्रतिवादीगण संख्या - 2 के पिता लया

सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प, 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प

प्रतिवादी सरव्य - 1 के प्रति श्रीराजी
का येरान्त 20/11/05 में हा गया था।
श्रीराज के येरान्त के बाद पत्नी
सम्पत् के शरा सामान्तरदरव्य सरव्य
पुठ में अमुक देवी पति श्रीराज,
जेठाराम पुत श्रीराज के नाम से
सम्पत्नी की अने। पत्नी श्रीराज
के वारिणाव अमुक देवी, जेठाराम,
कामादेवी व हरकु देवी है। इन
आरती पैतृक होने से बिना
वसीयत सिधे होने से हिन्दु उत्तरी
कारी अधिनियम धारा - 6 के अन्तर्गत
सभी का हम सम्पत् होता है।

वादीगत सरव्य - 1 व 2 प्रतिवादीगत -
1 व 3 प के ध्यानअमलवृ मिथे
जये। प्रतिवादी सरव्य 1 व 3 के
वादीगत में श्रीराज के प्रीथिम
वारिण होने स्वीकार किया गया।

हमने पत्नी का अलोकन
व शिधपन किया गया। वादीगत -
1 व 2 श्रीराज पुत्री वारिणाव है।
सरपत अत पचापत अडनाव अतमे
धाम पूछताछ में अतापा गया की
श्रीराज पुत राजाराम के दो पुत्री व
एक पुत व एक पति है। इन
द्वयमा सभी का मोके पर अलप


मास्त है इन प्रतिवादीगत सरव्या न

ने एतान स्थिते जपे की प्रतिमान मे
 से पुत्रीका गारा मेरी सेवा -
 चामरी की जा रही है एवं
 इनका मौर्य पर मल्ल्य मल्ल,
 विद्येक वात्स्य होने से इनके
 नाम से स्वादेशी घोषित की
 जाते।

अतः ~~का~~ काद स्वीकार योग्य
 है।

अतः वारीगण का काद स्वीकार
 किया जाकर सरहद मौजा अतवा
 जागीर के खतरा नं० 610/96 रमला
 उम-07 बीघा में कमला देवी पुत्री
 श्रीराम का 1/4 हिस्सा व हरमू देवी
 पुत्री श्रीराम का 1/4 हिस्सा, अमरु
 देवी पति श्रीराम का 1/4 हिस्सा,
 जेठाराम पुत्र श्रीराम का 1/4 हिस्सा
 की स्वादेशी घोषित की जाती है।

राहणीमदार पंचपरदा के राज्य
 रेकर्ड मे इन्ड्रज होने का आदेश
 जारी हो। डिडी पर्चा अलग से
 जारी हो।



(भागीरथ राम)
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
 बालोतरा कैम्प..... 01.07.14